

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील कमाक

/2016 जवलपुर

244
डाक नं 3640 I-K

सुकमनवाई मरावी पति स्व. श्री अशोक कुमार
मरावी निवासी ग्राम घाटपिपरिया थाना बरगी
तहसील व जिला जवलपुर म0प्र0 ।

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. मगन यादव पिता स्व. श्री गिरन सिंह यादव निवासी
नवनिवेश कालोनी , गंगानगर तहसील व जिला
जवलपुर म.प्र.।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 पारित अधिनस्थ न्यायालय
कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 156/अ-21/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक
26.09.2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम गोसलपुर प0ह0नं0 19 रा.नि.मं.खितीला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 65/2 रकवा कमशः 0. 400है0 भूमि अनावेदक विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु पर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे ।





राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3640 / 1 / 2016

जिला-जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
20.10.16	<p>यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 156/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांत ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम गोसलपुर प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. खितोला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 65/2 रकवा 0.400 है 0 उबड-खाबड होने एवं अन-उपजाऊ होने से एवं मेरे निवास स्थान से दूर पडती है जिसके कारण भूमि की देखभाल नहीं कर पाती हूँ। जिसके कारण उक्त मोजा गोसलपुर की भूमि को बेचकर अपने निवास सीन के आस-पास भूमि कय करनना चाहती हूँ। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 156/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 26.9.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांत के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।</p> <p>4- अपीलांत के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांत ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 65/2 रकवा 0.400 हे. के विक्रय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि आवेदिका महिला है भूमि पडती कम उपजाऊ और कृषि हेतु अनुपयुक्त है एवं निवास स्थान से दूर होने के कारण उक्त भूमि की देखभाल नहीं कर पाती हूँ। जिसके कारण उक्त भूमि को बेचकर अपने निवास स्थान के आस-पास भूमि क्रय करना चाहती हूँ उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त ग्राम दियाखेडा प.ह.न. 27 रा.नि.म. जवलपुर-2 तहसील व जिला जवलपुर खसरा नंबर 132 रकवा 1.1500 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं भूमि विक्रय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बना सकेगा एवं अपने निवास स्थान के आस-पास ही अन्य भूमि उपजाऊ क्रय कर सकेगी। भूमि विक्रय का प्रयोजन भी सदभावना पर आधारित है जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में वैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांत द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांत द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के हिता को ध्यान में रखे वगैरे ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने में वैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादा विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-08-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि -

(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 165(7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण-उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं

R
1/12

Om

दिया गया --उपबंध आकर्षित नहीं होते--भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन--का सिद्धांत --नवीन उपबंध का अंतःस्थापन --भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया --ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)--धारा 165(7-ख) सरकारी पट्टेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये --भूमि का विक्रय कर सकता है--कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 156/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांत को ग्राम गोसलपुर प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. खितोला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 65/2 रकबा 0.400 है0 के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1-भूमि का कय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।
- 2-भूमि का कय -विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।
- 3-क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

[Handwritten mark]

[Signature]
सदस्य